न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 23/2020/राजस्व वाद

उनवान

1. विष्णुबाई बेवा गोपालसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा हाल नि. खेजडियाखेडी तहसील सुसनेर म.प्र.

– वादीया

बनाम

1. राघूसिंह पि. देवीसिंह दत्तक पुत्र रामलाल जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
2. बनेसिंह पि. राघूसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
3. सोदानसिंह पि. राघूसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
4. अमरसिंह पि. देवीसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय **दिनांक :** 25/01/23

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम आदाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 182 की आराजी किता 9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता सं. 183 की आराजी किता 8 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होकर विरासत एवं दत्तक पुत्र की हैसिंयत से प्रतिवादी सं. को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 1 के तीन पुत्र गोपालसिंह , बनेसिंह , सोदानसिंह है जिसमें से गोपालसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादीया प्रतिवादी सं. 1 पुत्रवधु है इसलिये [illegible] प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक आराजी में 1/4 हिस्से पर [illegible] प्रतिवादी सं. 1 समाप्त कर बेचान हस्तानान्तरण करना चा[illegible] है। [illegible]जी पुश्तैनी होने एवं [illegible]सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

की विधवा होने से अपने मृतक पति के 1/4 हिस्से पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान की गई आराजी उसके हिस्से से कम करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 ने वादीया को उसके पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया है। प्रतिवादी सं. 4 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है परन्तु उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 1 ने पुराना खाता सं. 183 में से ख.नं. 814 व 823 में से आराजी का बेचान किया है एवं वर्तमान खाता सं. 232 में से ख.नं. 904 व 912 की आराजी का बेचान किया है। यह आराजी प्रतिवादी सं. 1 के खाते से कम होने योग्य है। वाद कारण दिनांक 27.02.2020 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी को बेचान करने की धमकी दी।

अतः वाद वादीया स्वीकार कर ग्राम आदाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 233 की आराजी किता 9 रकबा 2.9086 हेक्टर एवं खाता सं. 232 की आराजी किता 8 रकबा 5.0081 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में से 1/4 हिस्से का वादीया को खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान की गई पुराना खाता सं. 183 में से ख.नं. 814 व 823 में से आराजी का बेचान किया है एवं वर्तमान खाता सं. 232 में से ख.नं. 904 व 912 की आराजी का बेचान किया है। यह आराजी प्रतिवादी सं. 1 के खाते से कम की जावे।

वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 232 , 233 की प्रमाणित प्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिर्स्ड सम्मन तलब करने पर प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

वाद पत्र , राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील वादी द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम आदाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069–72 के [illegible] 182 की आराजी किता 9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में वाद[illegible] हिस्सा है एवं खाता सं. 183 की आराजी किता 8 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीया के ससुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

राघूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत पुश्तैनी आराजी में वादीया का हक व हिस्सा गोपालसिंह की विधवा होने से निहित है जिससे वह खातेदारी की घोषणा कराने की पात्र है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम आदाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 182 की आराजी किता 9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में वादीया के ससुर राघूसिंह का 1/8 हिस्सा का 1/4 अर्थात 1/32 हिस्से की सहखातेदार एवं खाता सं. 183 की आराजी किता 8 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीया के ससुर राघूसिंह की भूमि में 1/4 हिस्सा की सहखातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।
निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 23/2020/राजस्व वाद

उनवान

1. विष्णुबाई बेवा गोपालसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा हाल नि. खेजडियाखेडी तहसील सुसनेर म.प्र.

– वादीया

बनाम

1. राघूसिंह पि. देवीसिंह दत्तक पुत्र रामलाल जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
2. बनेसिंह पि. राघूसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
3. सोदानसिंह पि. राघूसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
4. अमरसिंह पि. देवीसिंह जाति सोध्या नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 188 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम आदाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 182 की आराजी किता 9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में वादीया के ससुर राघूसिंह का 1/8 हिस्सा का 1/4 अर्थात 1/32 हिस्से की सहखातेदार एवं खाता सं. [illegible] रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीया के ससुर राघूसिंह की भूमि [illegible] हिस्सा की सहखातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:35 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

Scanned with CamScanner